



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- जयपुर में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का सहायक अभियंता एवं वरिष्ठ सहायक 30 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आरोपियों के आवास एवं ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 19 जून, बुधवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. जयपुर नगर-प्रथम इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये ब्रज किशोर डेनवाल, सहायक अभियंता एवं सुरेश कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक अभियंता, खण्ड-अष्टम, जयपुर दक्षिण, सिविल लाईन्स, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को परिवादी से 30 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. मुख्यालय को एक शिकायत इस आशय की मिली कि उसका पानी का कनेक्शन जारी करने की एवज में आरोपी सुरेश कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक अभियंता, खण्ड-अष्टम, जयपुर दक्षिण, सिविल लाईन्स, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर द्वारा सहायक अभियंता ब्रजकिशोर डेनवाल के नाम पर 60 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है। परिवादी के अनुनय विनय के पश्चात आरोपी 50 हजार रुपये रिश्वत पर सहमत हुये हैं।

जिस पर एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री डॉ. रवि के सुपरवीजन में ए.सी.बी. जयपुर नगर-प्रथम इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री भूपेन्द्र सिंह के नेतृत्व में आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए ब्रज किशोर डेनवाल सहायक अभियंता एवं सुरेश कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक अभियंता, खण्ड-अष्टम, जयपुर दक्षिण, सिविल लाईन्स, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को परिवादी से 30 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपियों द्वारा शिकायत से पूर्व भी परिवादी से 20 हजार रुपये रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के सुपरवीजन में आरोपियों से पूछताछ तथा आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।